भारत सरकार

भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 4084**

(जिसका उत्तर मंगलवार 3 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**15वें वित्त आयोग का गठन**

**4084. श्री वि॰ विजयसाई रेड्डीः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में पन्द्रहवें वित्त आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के समक्ष विचारार्थ विषय क्या-क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि वित्त आयोग से यह आग्रह किया गया है कि वह 42 प्रतिशत अंतरण के

 सिद्धांतों की समीक्षा करे;

(घ) क्या आयोग द्वारा अंतरण सीमा को कम किए जाने के फलस्वरूप राज्यों को चौदहवें वित्त

 आयोग के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सी॰एस॰एस॰) को वापस ले लिया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विचारार्थ विषयों के अंतर्गत राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के संबंध में कोई

 प्रतिबंध लगाए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त राज्‍य मंत्री (श्री पोन. राधाकृष्‍णन)**

**(क) से (ग):** सरकार ने, दिनांक 27 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड 3, उप-खंड (ii) की सं. का.आ. 3755(अ) के तहत श्री एन. के. सिंह की अध्‍यक्षता में पंद्रहवें वित्‍त आयोग का गठन किया है। विचारार्थ विषयों में करों और शुल्‍कों की निवल आय का केंद्र और राज्‍यों के बीच वितरण की सिफारिश करना शामिल है। विचारार्थ विषयों का ब्‍यौरा वेबसाइट [http://fincomindia.nic.in/Show PDF Content.aspx](http://fincomindia.nic.in/Show%20PDF%20Content.aspx) पर देखा जा सकता है।

**(घ) और (ङ):** इस समय, सरकार ऐसे किसी प्रस्‍ताव पर विचार नहीं कर रही है।

**(च) और (छ):** पंद्रहवें वित्‍त आयोग को, राज्‍यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने संबंधी कोई विचारार्थ विषय नहीं सौंपा गया है।

\*\*\*\*\*